न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN010020872026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–184/2026

राकेश कुमार बनाम राजू आदि

दिनांक–30.06.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/आवेदक राकेश कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण राजू आदि के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का खेत सं०–2467 क्षे० 0.3890 हे० ग्राम बिरहुन, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी की 1/3 भाग में लाही की फसल खड़ी थी, शेष 2/3 भाग पर गेहूँ की फसल लगी है। प्रार्थी के गांव के सटे गांव सरसैय्यनपुरवा खण्ड लालाभगत थाना रसूलाबाद कानपुर देहात के राजू व बलवीर पुत्र रामस्वरूप, राजकुमार पुत्र पंचमलाल, पुत्तन पुत्र दुज्ञा, कन्हैया पुत्र अशोक कुमार, छोटेलाल पुत्र पुत्तन, सौरभ पुत्र राजू व प्रवेश पुत्र राजकुमार दिनांक 02.04.2026 को समय लगभग 08:00 बजे सायं प्रार्थी की लाही की फसल काटकर लूटे लिये जा रहे थे, जब प्रार्थी ने लूट का माल ले जाने का विरोध किया, तब इन सभी ने धमकी दी कि ज्यादा कुछ किया तो ट्रैक्टर से कुचल देंगे और प्रार्थी पर हमला करने का प्रयास किया, प्रार्थी 112 नम्बर मिलाता था किन्तु नेटवर्क न आने के कारण 112 नम्बर नही मिला। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना व्यक्तिगत रूप से थाने में उसी दिन दी थी परन्तु थाने में सूचना देने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नही की गयी तब दिनांक 04.04.2026 को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट थाना रसूलाबाद व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात को प्रेषित की। प्रार्थी के साथ उक्त घटना होने व उसकी रिपोर्ट थाना रसूलाबाद में न लिखे जाने से अभियुक्तगण के हौसले बुलन्द हैं, उक्त लोगो से प्रार्थी/वादी को जान का खतरा बना हुआ है तथा विवेचना से ही मामले अभियुक्तगणों की भूमिका व माल की बरामदगी सम्भव है। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में दो किता प्रार्थना पत्र मय पुलिस अधीक्षक महोदय, कानपुर देहात को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, दो किता मूल डाक रसीद, एक किलो लाई खरीद की रसीद, उद्धरण खतौनी की छायाप्रति व आधारकार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक सानू के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच की गयी तो पाया गया कि आवेदक राकेश कुमार उपरोक्त की भूमि वर्ष 2016 में विपक्षी रामकुमार द्वारा खरीदी थी तभी से जोतते बोते चले आ रहे हैं लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है। इस संबंध में आवेदक व विपक्षीगण में विवाद चल रहा है। इस संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ.प्र.राज्य, 2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ**

यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आँफ यू.पी. एवं अन्य 2009(4) जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1) ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट) में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 30.07.2026 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–30.06.2026